न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1840–दो/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–8–06 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 51/2005–06/निगरानी.

———

रामरूप पुत्र श्री धनीराम
निवासी ग्राम विरधनपुरा,
तहसील व जिला भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– अजय कुमार पुत्र श्री देवीदयाल
2– संजयकुमार पुत्र श्री देवीदयाल
दोनों निवासीगण ग्राम विरधनपुरा
तहसील व जिला भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदक.
अनावेदकगण – एकपक्षीय.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 09 मार्च, 2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 51/2005–06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–8–06 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम सालिंगपुरा स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 240 मिन रकबा 0.77 हैक्टर का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन अधीक्षक, भू–अभिलेख भिण्ड के समक्ष पेश किया । उक्त आवेदन पर से अधीक्षक, भू–अभिलेख भिण्ड ने पंजी क. 14 दिनांक 23–5–01 द्वारा विवादित भूमि पर आवेदक का नामांतरण विक्रेता अजय कुमारएवं संजय कुमार पुत्रगण देवीदयाल के स्थान पर स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील

प्रस्तुत हुई जिसमें उन्होंने दिनांक 24.10.05 द्वारा अनावेदकों की अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर, भिण्ड के न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 5–1–06 द्वारा अग्राह्य की गई । कलेक्टर, भिण्ड के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रकरण में प्रत्यावर्तन का कोई आधार न होते हुए भी अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में भूल की है । आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है । राजस्व न्यायालयों को पंजीकृत दस्तावेज की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं है ।

अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण का जो आदेश दिया गया है वह संहिता के प्रावधानों के तहत ही पारित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक ने एस.डी.ओ. के न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु दीवानी वाद प्रस्तुत किया जा चुका था ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को कार्यवाही को स्थगित रखना चाहिए था। किंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किए गए हैं जो अवैधानिक हैं ।

4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है । प्रकरण में सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण दिनांक 23.5.01 को किया गया है, जिसके विरूद्ध अनावेदकों द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील दिनांक 30.7.03 को की गई जिसमें उन्होंने दिनांक 24.10.05 को आदेश पारित करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । इस आदेश की पुष्टि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने की है । प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेख को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी का यह कहना कि

विचारण न्यायालय ने गिरवी रखे हुए वापिस बैनामा के आधार पर नामांतरण किया गया है, सही नहीं है । जो विक्रयपत्र आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसमें भूमि गिरवी रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील की गई है वह विलंब से पेश की गई है । विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों के संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सर्वप्रथम विलंब के प्रश्न का निराकरण किया जाना चाहिए उसके उपरांत ही प्रकरण में गुणदोषों पर निर्णय किया जा सकता है, इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 254 अवलोकनीय है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि समयवर्जित अपील परिसीमा का प्रश्न पहले सकारण आदेश द्वारा विनिश्चत किया जाना चाहिए, जबकि इस प्रकरण में विलंब के बिंदु पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है और सीधे आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी उक्त वैधानिक स्थिति को अनदेखा किया गया है । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश एवं उसकी पुष्टि करने संबंधी कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश सिथर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर